

इस बार 370 करोड़ रुपए महंगी होंगी दुकानें

1350 करोड़ में बिकेगी इंदौर की देसी-विदेशी शराब दुकानें, ड्यूटी घटने से अवैध शराब पर कसेगा शिकंजा

इंदौर। मय सरकार की नई आबकारी नीति में जहां पर पर बार खोलने और शराब रखने की सीमा बढ़ाई, वहीं देशी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचने की अनुमति भी दी गई है। इंदौर में 106 देशी शराब की दुकानों पर अब 1 अप्रैल से विदेशी शराब भी बिकने लगीगी। इंदौर में पहले से ही 69 विदेशी शराब की दुकानें हैं। सरकार ने इंदौर की इन सभी 175 शराब की दुकानों के लिए अगले वित्त वर्ष का 1350 करोड़ रुपए मूल्य तय किया है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 370 करोड़ अधिक का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इंदौर जिले के उपायुक्त आबकारी राजनारायण सोनी के मुताबिक पिछले साल 10 माह के लिए 980 करोड़ का टेका शराब दुकानों का दिया गया, उससे करीब 980 करोड़ रुपए की आय हुई थी। 12 महीने के हिसाब से गणना करें तो यह टेका 1130 करोड़ का होता है।

सरकार ने देशी शराब की दुकानों पर 25 फीसदी और विदेशी दुकानों पर 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है। उसके चलते आगामी वित्त वर्ष का इंदौर जिले की शराब दुकानों का आरक्षित मूल्य 1350 करोड़ रुपए तय किया गया है। सामान की नई आबकारी नीति के तहत जो दिशा-निर्देशी मुख्यालय से मिलेंगे उसी के मुताबिक टेका देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अवैध शराब की बिक्री घटाने पर ड्यूटी

सोनी ने बताया कि नई आबकारी नीति की अलग-अलग तरह से समीक्षा की जा रही है। सरकार ने शराब पर ड्यूटी घटाई है।



स्वर्ण आभूषण से होगा गणेशजी का श्रृंगार 51,000 लड्डुओं का लगेगा भोग

इंदौर। खजराना गणेश मंदिर में इस बार कोरोना महामारी के चलते भले ही तिल चतुर्थी मेला नहीं लग रहा लेकिन प्रतिवधातुसर इस बार भी भगवान गणेश को तिल-गुड़ के 5 1 हजार लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। भोग के लिए मंदिर परिसर में ही लड्डुओं का निर्माण किया जा रहा है। यह दूसरा वर्ष है जब मंदिर में तिल चतुर्थी मेला आयोजित नहीं हो रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रकाश दुबे ने बताया कि 21 जनवरी की सुबह 10.30 बजे कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा पूजा की जाएगी जिसमें इन लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा।

इस दिन श्रीगणेश, रिद्धि-सिद्धि, शुभ-लाभ को मोती जड़ित भगवान का श्रृंगार जाप्री और स्वर्ण आभूषणों से भवन का श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर की भी विशेष रूप से सजाया जाएगा। मंदिर में तीन दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा जिसकी शुरुआत 21 जनवरी से ही होगी। 23 जनवरी तक रात 8 बजे से भजन संध्या होगी। क्रोरोना गाइडलाइन का पालन करपैंगे - मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट ने बताया कि पहले मेले में फूड स्टाल, झूले आदि लगा करते थे, जो इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते नहीं लगेंगे। मंदिर में दर्शन के दौरान भी भक्तों को प्रोटोकाल का पालन करना होगा। बिना मास्क लगाए मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों को रोका जाएगा।

ब्रह्माकुमारीज के प्रयास देश को एक नई ऊर्जा और शक्ति देंगे: मोदी

आबू रोड, राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात को ब्रह्माकुमारीज संस्था के आबू रोड स्थित शांतिवन परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान का वचुंअल शुभारंभ किया। साथ ही सात अभियानों की हरी झंडी दिखाई। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज संस्थान के प्रयासों से देश को एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलेगी। त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासियों आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। राष्ट्र की प्रति्ति से ही हमारी प्रगति है। यही भाव एक ताकत बन रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास देश का मूलमंत्र बन रहा है। हम ऐसे व्यवस्था बना रहे है जिसमें भेदाभाव की जगह ना हो।

ब्रह्माकुमारीज संस्थान का प्रभाव पूरे विश्व में है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इस अभियान में एक नयी उर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है और सामाना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्माकुमारियों के प्रयास भी है। मैं देश के संकल्पों के साथ, देश के सपनों के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए ब्रह्माकुमारी परिवार का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ। यह संकल्पों के साथ सामान जुड़ जाती है, जब मानवमात्र के साथ हमारा ममानव जुड़ जाता है।

प्रदेश टुडे के लिए मालिक, मुद्रक एवं प्रकाशक हरचरण चौधरीने दी.भी. की। कॉपीरिटाइट, पॉस्ट नं.- 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर-एफ, इंडस्ट्रीएल एरिया, सांखे रोड, इंदौर म.प्र. से मुद्रित करवाकर और बालाराम इंग्ले परिसर, एम्पटीएफ कंपाउंड, इंदौर प्रसे क्लब, एमजी रोड, इंदौर म.प्र. से प्रकाशित किया। संपर्क- देवेक कल्याणी” स्टेट हेड-सुनील शर्मा

आरएएन नं.-एम्पटीएआईएन/2010/38523, फोन नं.0731-498773। डाक पंजीवन MP/DIC/1571/2018-2020 Email-editor@pradeshtoday.com *पीआरटी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए निर्मित।



ड्यूटी घटाने से देशी और विदेशी शराब की कीमत में 15 से 20 फीसदी की कमी आएगी और इसके पीछे तर्क दिया गया है कि अवैध शराब की बिक्री घटेगी।

पिछले साल सिडिकेट के दौरान गैंगवार में हुई थी फायरिंग

वर्ष 2021 में इंदौर के विजयनगर में शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर पर सिडिकेट के चलते ही फायरिंग हुई थी। जिसमें 20 फीसदी की कमी आएगी और इसके पीछे तर्क दिया गया है कि अवैध शराब की बिक्री घटेगी।

इंदौर। शहर में लगातार कई सपा सेंटों की आड़ में देह व्यापार कि बड़े अड्डे पकड़ाने के बाद इंदौर कमिश्नर ने नए आदेश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि सपा सेंटर, ब्यूटी पार्लर को अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ की जानकारी थानों पर देना होगी। कुछ दिनों पहले शहर के विजय नगर थाने में एक सपा सेंटर छापे में थाईलैंड की बुकीरियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिस द्वारा जारी किए जा रहे हैं। बुधवार उन्हे तीन अलग-अलग आदेश जारी कर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें मकान, दुकान फ़िराए पर देने से पहले संबंधित थानों में जानकारी देना, पेगिंग गेट की सूचना अनिवार्य करने के साथ सपा सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले स्टाफ की जानकारी भी आईडी प्रूफ के साथ थानों में देना होगी। धारा 144 के तहत जारी एक प्रतिबंधात्मक आदेश में राजनीतिक दल, धार्मिक और सामाजिक संगठनों पर भी बिना सूचना और अनुमति के घरने, प्रदर्शन, रैली सभाओं पर रोक लगाई गई है।

डीपी आभूषण ने मजबूत परिणामों एवं नये शोरूम की घोषणा की

मुंबई। डीपी आभूषण लिमिटेड (NSE - DPABHUSHAN) ने 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही में, (पिछले वित्त वर्ष 20 -21 की तीसरी तिमाही की तुलना में) एकीकृत आय में 61% और कर के बाद अपने शुद्ध लाभ में 81% की वृद्धि कि है। त्योहारों और शादीयों के कारण कंपनी ने Q3 FY21-22 में मजबूत मांग देखी है। देश के 256 जिलों में सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग से संगठित आभूषण कंपनियों को लाभ हुआ है और कंपनी सभी पहलुओं में एच्यूआइडी के साथ 100% अनुपालन करती है। कंपनी का नौ महीने का समेकित राजस्व वित्त वर्ष 2021 के कुल समेकित राजस्व 1218.28 करोड़ रू. को पार गया है, और प्रबंधन को वित्त वर्ष 21-22 की चौथी तिमाही में और भी अच्छे परिणामों की उम्मीद है। कंपनी ने गुरुवार 20 जनवरी 2022 को अपने तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व 668 करोड़ रू. रहा, जो कि दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए 414 करोड़ रू. था। दिसंबर 2021 को समाप्त नौ माही के लिए राजस्व 1291.71 करोड़ रू. रहा, जो कि दिसंबर 2020 को समाप्त नौ माही के लिए 628 करोड़ रू. था। दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ 15.78 करोड़ रू. रहा, जो कि दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए 8.72 करोड़ रू. था। मध्य प्रदेश के रत्नलग, इंदौर, भोपाल और उज्जैन और राजस्थान राज्य के उदयपुर, भीलवाड़ा और कोल में कंपनी के कुल सात शो रूम मौजूद हैं और 22 जनवरी को अपना आटाव शोरूम राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में खोलने जा रही है।

पितृ पर्वत ...



इंदौर। लोकसाभ अख़श ओम विडल पितृपर्वत पृष्ठे। इस अवसर पर साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और विवाद्यक रमेश मेठोला, सांसद शंकर लालवानी भी है। फोटो: गोपाल वर्मा।

अस्पताल में फिल्म शूटिंग के दौरान परिजनों को मरीजों से दूर रखा

इंदौर। इंदौर में फिल्म लुकाछुपी-2 की शूटिंग के बाद गुमरावा नगर के अरिहत होस्पिटल में विवाद हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि हर्म अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने नहीं दिया गया। विवाद बढ़ा तो अस्पताल प्रबंधन को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रबंधन ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस फिल्म में विककी कौशल और सारा अली खान अभिनय कर रहे हैं।। गुमरावा नगर में लुकाछुपी-2 को लेकर लोकेशन तैयार की गई थी। शूटिंग अरिहत अस्पताल में होनी थी। दो मंजिलों पर विककी कौशल और सारा अली खान के साथ प्रोडक्शन की टीम मौजूद थी। सुबह जब अस्पताल में मरीजों के परिजन चाय-नाश्ता लेकर पहुंचे तो बाइंडरज ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद यहां हंगामा हो गया। अस्पताल में भर्ती अर्चना गुप्ता के पिता ओमप्रकाश ने बातचीत में बताया कि उन्हें सुबह नीचे जाना था, लेकिन किसी ने जाने नहीं दिया। उन्हें बताया गया कि फिल्म की शूटिंग के बीच किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं है। इसी के साथ आने-जाने वाले लोगों को भी ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था। जब उन्होंने हंगामा किया तो प्रोडक्शन विभाग के लोगों ने आकर माफी मांगी।

किसी को नहीं रोका, शूटिंग की जगह भी अलग

इस मामले में अस्पताल प्रबंधन के अतिव बलालाने ने बताया कि किसी भी मरीज और परिजनों को आने-जाने से नहीं रोका गया है। शूटिंग अस्पताल के पीछे की तरफ की जा रही है। वहीं से टीम का आना-जाना था। जिसमें सिक्वैरिटी के तौर पर अस्पताल के सभी गेट पर गार्ड और बाइंडर को खड़ा किया गया है।

ऑनलाइन गेमिंग ऐप के मकड़जाल में बिल्कुल न पड़े, मिनटों में खाते से निकल गए ढाई लाख रुपए

इंदौर। होंगकांग से संचालित हो रहे ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जाल में फंसकर जिले के पुलिसकर्मियों ने ढाई लाख रुपए गंवा दिए। राज्य साइबर सेल इंदौर के एस्पीजी जितेंद्र सिंह ने बताया, आश्वक ने दिसंबर 2021 में टगी की शिकायत की थी। उन्होंने गेम डॉट लक्कूत डॉट इन वेबसाइट से ऐप डाउनलोड की थी।

गेम खेलने के दौरान चार माह में उनके खाते से ढाई लाख रुपए कटते गए। इसके बाद ऐप की आइडी पर फरियादी की 11.29 लाख रुपए जमाते की बात डिक्लेव होने लगी। जब फरियादी ने जीटी हूड राशि को खाते में ट्रांसफर करने का प्रयास किया तो आइडी सिक्रेट हो गई और मोबाइल का डिक्लेव चला गया। उन्होंने साइबर सेल में शिकायत की। पुलिस ने पोस्ट गेटवे से संबंध कर ढाई लाख रुपए वापस करवाए। एस्पीजी सिंह ने बताया, इंटरनेट पर बड़ी संख्या में ऑनलाइन गेमिंग ऐप मौजूद हैं। इनसे आकर्षित होकर युवर्स इनमें रुपए ट्रांसफर करने लगते हैं। गेम के दौरान रुपए जीतने पर युवर्स का उत्साह बढ़ने लगता है। सिंह ने बताया, इंटरनेट पर खराबी-बिक्री यान्ी डॉम-डॉमर्स किसी भीमें गेटवे के माध्यम से ही होता है। ऑनलाइन व्यवसाय के लिए गेटवे गेटवे लेना अनिवार्य होता है। टीम ने फरियादी के मामले में गेमेट गेटवे को मेल कर उनके खातों से गई राशि को रिकवर किया है।

इंदौर में दिन व रात के तापमान में हुई हल्की बढ़ोतरी

इंदौर। पिछले दो दिनों से हवाओं का रुख बदलने के कारण दिन व रात के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

कार्यालय कार्यालय नंत्री, ग्रामीणी यांत्रिकी सेवा, संभाग महेश्वर जिला खरगोन	
क्रमांक/63/नोडल/आरसीए/2022	दिनांक/दिनांक 14/10/2022
खिरवत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 11/2021-22	
गणराज्य के राजधानी और से ग्रामीणी यांत्रिकी सेवा संगठन के, 04 निर्माण कार्य निविदा प्रेषण नं. 1/2022, RES-179383, 1/2022, RES-179384, 1/2022, RES-179385, 1/2022, RES-179386, 1/2022, RES-179387, 1/2022, RES-179388, 1/2022, RES-179389, 1/2022, RES-179390, 1/2022, RES-179391, 1/2022, RES-179392, 1/2022, RES-179393, 1/2022, RES-179394, 1/2022, RES-179395, 1/2022, RES-179396, 1/2022, RES-179397, 1/2022, RES-179398, 1/2022, RES-179399, 1/2022, RES-179400, 1/2022, RES-179401, 1/2022, RES-179402, 1/2022, RES-179403, 1/2022, RES-179404, 1/2022, RES-179405, 1/2022, RES-179406, 1/2022, RES-179407, 1/2022, RES-179408, 1/2022, RES-179409, 1/2022, RES-179410, 1/2022, RES-179411, 1/2022, RES-179412, 1/2022, RES-179413, 1/2022, RES-179414, 1/2022, RES-179415, 1/2022, RES-179416, 1/2022, RES-179417, 1/2022, RES-179418, 1/2022, RES-179419, 1/2022, RES-179420, 1/2022, RES-179421, 1/2022, RES-179422, 1/2022, RES-179423, 1/2022, RES-179424, 1/2022, RES-179425, 1/2022, RES-179426, 1/2022, RES-179427, 1/2022, RES-179428, 1/2022, RES-179429, 1/2022, RES-179430, 1/2022, RES-179431, 1/2022, RES-179432, 1/2022, RES-179433, 1/2022, RES-179434, 1/2022, RES-179435, 1/2022, RES-179436, 1/2022, RES-179437, 1/2022, RES-179438, 1/2022, RES-179439, 1/2022, RES-179440, 1/2022, RES-179441, 1/2022, RES-179442, 1/2022, RES-179443, 1/2022, RES-179444, 1/2022, RES-179445, 1/2022, RES-179446, 1/2022, RES-179447, 1/2022, RES-179448, 1/2022, RES-179449, 1/2022, RES-179450, 1/2022, RES-179451, 1/2022, RES-179452, 1/2022, RES-179453, 1/2022, RES-179454, 1/2022, RES-179455, 1/2022, RES-179456, 1/2022, RES-179457, 1/2022, RES-179458, 1/2022, RES-179459, 1/2022, RES-179460, 1/2022, RES-179461, 1/2022, RES-179462, 1/2022, RES-179463, 1/2022, RES-179464, 1/2022, RES-179465, 1/2022, RES-179466, 1/2022, RES-179467, 1/2022, RES-179468, 1/2022, RES-179469, 1/2022, RES-179470, 1/2022, RES-179471, 1/2022, RES-179472, 1/2022, RES-179473, 1/2022, RES-179474, 1/2022, RES-179475, 1/2022, RES-179476, 1/2022, RES-179477, 1/2022, RES-179478, 1/2022, RES-179479, 1/2022, RES-179480, 1/2022, RES-179481, 1/2022, RES-179482, 1/2022, RES-179483, 1/2022, RES-179484, 1/2022, RES-179485, 1/2022, RES-179486, 1/2022, RES-179487, 1/2022, RES-179488, 1/2022, RES-179489, 1/2022, RES-179490, 1/2022, RES-179491, 1/2022, RES-179492, 1/2022, RES-179493, 1/2022, RES-179494, 1/2022, RES-179495, 1/2022, RES-179496, 1/2022, RES-179497, 1/2022, RES-179498, 1/2022, RES-179499, 1/2022, RES-179500, 1/2022, RES-179501, 1/2022, RES-179502, 1/2022, RES-179503, 1/2022, RES-179504, 1/2022, RES-179505, 1/2022, RES-179506, 1/2022, RES-179507, 1/2022, RES-179508, 1/2022, RES-179509, 1/2022, RES-179510, 1/2022, RES-179511, 1/2022, RES-179512, 1/2022, RES-179513, 1/2022, RES-179514, 1/2022, RES-179515, 1/2022, RES-179516, 1/2022, RES-179517, 1/2022, RES-179518, 1/2022, RES-179519, 1/2022, RES-179520, 1/2022, RES-179521, 1/2022, RES-179522, 1/2022, RES-179523, 1/2022, RES-179524, 1/2022, RES-179525, 1/2022, RES-179526, 1/2022, RES-179527, 1/2022, RES-179528, 1/2022, RES-179529, 1/2022, RES-179530, 1/2022, RES-179531, 1/2022, RES-179532, 1/2022, RES-179533, 1/2022, RES-179534, 1/2022, RES-179535, 1/2022, RES-179536, 1/2022, RES-179537, 1/2022, RES-179538, 1/2022, RES-179539, 1/2022, RES-179540, 1/2022, RES-179541, 1/2022, RES-179542, 1/2022, RES-179543, 1/2022, RES-179544, 1/2022, RES-179545, 1/2022, RES-179546, 1/2022, RES-179547, 1/2022, RES-179548, 1/2022, RES-179549, 1/2022, RES-179550, 1/2022, RES-179551, 1/2022, RES-179552, 1/2022, RES-179553, 1/2022, RES-179554, 1/2022, RES-179555, 1/2022, RES-179556, 1/2022, RES-179557, 1/2022, RES-179558, 1/2022, RES-179559, 1/2022, RES-179560, 1/2022, RES-179561, 1/2022, RES-179562, 1/2022, RES-179563, 1/2022, RES-179564, 1/2022, RES-179565, 1/2022, RES-179566, 1/2022, RES-179567, 1/2022, RES-179568, 1/2022, RES-179569, 1/2022, RES-179570, 1/2022, RES-179571, 1/2022, RES-179572, 1/2022, RES-179573, 1/2022, RES-179574, 1/2022, RES-179575, 1/2022, RES-179576, 1/2022, RES-179577, 1/2022, RES-179578, 1/2022, RES-179579, 1/2022, RES-179580, 1/2022, RES-179581, 1/2022, RES-179582, 1/2022, RES-179583, 1/2022, RES-179584, 1/2022, RES-179585, 1/2022, RES-179586, 1/2022, RES-179587, 1/2022, RES-179588, 1/2022, RES-179589, 1/2022, RES-179590, 1/2022, RES-179591, 1/2022, RES-179592, 1/2022, RES-179593, 1/2022, RES-179594, 1/2022, RES-179595, 1/2022, RES-179596, 1/2022, RES-179597, 1/2022, RES-179598, 1/2022, RES-179599, 1/2022, RES-179600, 1/2022, RES-179601, 1/2022, RES-179602, 1/2022, RES-179603, 1/2022, RES-179604, 1/2022, RES-179605, 1/2022, RES-179606, 1/2022, RES-179607, 1/2022, RES-179608, 1/2022, RES-179609, 1/2022, RES-179610, 1/2022, RES-179611, 1/2022, RES-179612, 1/2022, RES-179613, 1/2022, RES-179614, 1/2022, RES-179615, 1/2022, RES-179616, 1/2022, RES-179617, 1/2022, RES-179618, 1/2022, RES-179619, 1/2022, RES-179620, 1/2022, RES-179621, 1/2022, RES-179622, 1/2022, RES-179623, 1/2022, RES-179624, 1/2022, RES-179625, 1/2022, RES-179626, 1/2022, RES-179627, 1/2022, RES-179628, 1/2022, RES-179629, 1/2022, RES-179630, 1/2022, RES-179631, 1/2022, RES-179632, 1/2022, RES-179633, 1/2022, RES-179634, 1/2022, RES-179635, 1/2022, RES-179636, 1/2022, RES-179637, 1/2022, RES-179638, 1/2022, RES-179639, 1/2022, RES-179640, 1/2022, RES-179641, 1/2022, RES-179642, 1/2022, RES-179643, 1/2022, RES-179644, 1/2022, RES-179645, 1/2022, RES-179646, 1/2022, RES-179647, 1/2022, RES-179648, 1/2022, RES-179649, 1/2022, RES-179650, 1/2022, RES-179651, 1/2022, RES-179652, 1/2022, RES-179653, 1/2022, RES-179654, 1/2022, RES-179655, 1/2022, RES-179656, 1/2022, RES-179657, 1/2022, RES-179658, 1/2022, RES-179659, 1/2022, RES-179660, 1/2022, RES-179661, 1/2022, RES-179662, 1/2022, RES-179663, 1/2022, RES-179664, 1/2022, RES-179665, 1/2022, RES-179666, 1/2022, RES-179667, 1/2022, RES-179668, 1/2022, RES-179669, 1/2022, RES-179670, 1/2022, RES-179671, 1/2022, RES-179672, 1/2022, RES-179673, 1/2022, RES-179674, 1/2022, RES-179675, 1/2022, RES-179676, 1/2022, RES-179677, 1/2022, RES-179678, 1/2022, RES-179679, 1/2022, RES-179680, 1/2022, RES-179681, 1/2022, RES-179682, 1/2022, RES-179683, 1/2022, RES-179684, 1/2022, RES-179685, 1/2022, RES-179686, 1/2022, RES-179687, 1/2022, RES-179688, 1/2022, RES-179689, 1/2022, RES-179690, 1/2022, RES-179691, 1/2022, RES-179692, 1/2022, RES-179693, 1/2022, RES-179694, 1/2022, RES-179695, 1/2022, RES-179696, 1/2022, RES-179697, 1/2022, RES-179698, 1/2022, RES-179699, 1/2022, RES-179700, 1/2022, RES-179701, 1/2022, RES-179702, 1/2022, RES-179703, 1/2022, RES-179704, 1/2022, RES-179705, 1/2022, RES-179706, 1/2022, RES-179707, 1/2022, RES-179708, 1/2022, RES-179709, 1/2022, RES-179710, 1/2022, RES-179711, 1/2022, RES-179712, 1/2022, RES-179713, 1/2022, RES-179714, 1/2022, RES-179715, 1/2022, RES-179716, 1/2022, RES-179717, 1/2022, RES-179718, 1/2022, RES-179719, 1/2022, RES-179720, 1/2022, RES-179721, 1/2022, RES-179722, 1/2022, RES-179723, 1/2022, RES-179724, 1/2022, RES-179725, 1/2022, RES-179726, 1/2022, RES-179727, 1/2022, RES-179728, 1/2022, RES-179729, 1/2022, RES-179730, 1/2022, RES-179731, 1/2022, RES-179732, 1/2022, RES-179733, 1/2022, RES-179734, 1/2022, RES-179735, 1/2022, RES-179736, 1/2022, RES-179737, 1/2022, RES-179738, 1/2022, RES-179739, 1/2022, RES-179740, 1/2022, RES-179741, 1/2022, RES-179742, 1/2022, RES-179743, 1/2022, RES-179744, 1/2022, RES-179745, 1/2022, RES-179746, 1/2022, RES-179747, 1/2022, RES-179748, 1/2022, RES-179749, 1/2022, RES-179750, 1/2022, RES-179751, 1/2022, RES-179752, 1/2022, RES-179753, 1/2022, RES-179754, 1/2022, RES-179755, 1/2022, RES-179756, 1/2022, RES-179757, 1/2022, RES-179758, 1/2022, RES-179759, 1/2022, RES-179760, 1/2022, RES-179761, 1/2022, RES-179762, 1/2022, RES-179763, 1/2022, RES-179764, 1/2022, RES-179765, 1/2022, RES-179766, 1/2	